भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं0 79 (आर.ई. 2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

विषयः– विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.35(ख) के तहत ईरान को निर्यात।

सा.आ. (अ.) समय–समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.35(ख) में एतद्द्वारा संशोधन करती है।

2. दिनांक 06.06.2013 और 10.06.2013 की अधिसूचना सं0 16 तथा 17 (आर.ई. 2013)/2009–2014 के जरिए यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2009–14 का मौजूदा पैराग्राफ 2.35(ख) निम्न प्रकार है:

(i) "मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसे माल के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति दी जाएगी, सिवाय उन देशों के जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो। अधिसूचित देशों को ऐसे माल के निर्यात की अनुमति न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन की शर्त के अधीन भारतीय रुपयों में भुगतान के प्रति दी जाएगी।

(ii) तदनुसार, ईरान को ऐसे माल, जिसे मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान कर आयात किया गया है, के निर्यात की अनुमति भारतीय रुपये में भी भुगतान पर दी जाएगी, जो कम से कम 15 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन के अधीन होगी।"

3. विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 (ख) में संशोधन किया जाता है, जो निम्न प्रकार पढ़ा जाएगाः

(i) "मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसे माल के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति दी जाएगी, सिवाय उन देशों के जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो। अधिसूचित देशों को ऐसे माल के निर्यात की अनुमति न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन की शर्त के अधीन भारतीय रुपयों में भुगतान के प्रति दी जाएगी।"

(ii) तदनुसार, ईरान को ऐसे माल, जिसे मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान कर आयात किया गया है, के निर्यात की अनुमति भारतीय रुपये में भी भुगतान पर दी जाएगी, जो कम से कम 15 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन के अधीन होगी। *इसके अलावा, खाद्य, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पुनः निर्यात पर न्यूनतम*

मूल्यवर्धन की शर्त लागू नहीं होगी। इन वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोडों में, विदेश व्यापार नीति 2009–14 तथा आईटीसी (एचएस) 2012 की सभी शर्तों के अध्यधीन जो लागू हों, आईटीसी (एचएस) के अध्याय 2,3,4,7–11 और अध्याय 15–21, 23, 30 तथा अध्याय–90 के केवल शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 तथा 9022 शामिल होंगे।

(iii) एचएसः 0407 और 0408 के तहत पक्षियों के अंडे तथा एचएसः1006 के तहत चावल इस छूट में शामिल नहीं होंगे।

(iv) इस छूट के तहत निर्यात किसी भी निर्यात प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

ईरान को किए जाने वाले खाद्य, दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के पुनः निर्यात पर कोई मूल्यवर्धन की शर्त नहीं लगाई जाएगी। मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं के प्रति आयातित तथा रुपये में भुगतान के प्रति ईरान को पुनः निर्यात की जाने वाली वस्तुएं किसी निर्यात प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगी।

29/4/2014

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/25/एएम12/पीसी–2(ख) से जारी)